

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
दुमका, गोड्डा एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक-25-02-2025

विषय :- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघु शीर्ष-101-संग्रहण प्रभार, उपशीर्ष-01-मानकी, मुण्डा, डाकुआ, प्रधान, ठीकेदार के लिए सम्मान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु मानदेय इकाई विपत्र कोड-40-S-20290010101000109 में कुल ₹5,21,79,000/-(रुपये पाँच करोड़ इक्कीस लाख उनासी हजार मात्र) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-58/रा., दिनांक-16.01.2025, उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-955/रा., दिनांक-21.12.2024 एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-131/स्था0, दिनांक-01.02.2025 द्वारा प्राप्त अध्याचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु मानकी, ग्राम प्रधान, मुण्डा, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल, तावेदार एवं दिउरी (पुजारी) को सम्मान राशि भुगतान हेतु ₹5,21,79,000/-(रुपये पाँच करोड़ इक्कीस लाख उनासी हजार मात्र) की राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है:-

क्र. सं.	जिला का नाम	DDO Code	आवंटित राशि
1	दुमका	DMKDAD 047	20000000
2	गोड्डा	GDDAD 020	10000000
3	पू0 सिंहभूम, जमशेदपुर	JSRDAD 001	22179000
कुल			52179000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन उपरोक्त डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. विभागीय संकल्प संख्या-4654/रा0, दिनांक-22.11.2018, विभागीय संकल्प संख्या-1208/रा0, दिनांक-07.04.2022, विभागीय संकल्प संख्या-3963/रा0, दिनांक-12.12.2023 तथा विभागीय संकल्प संख्या-2651, दिनांक-16.08.2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानकी को ₹0 6000/-, मुण्डा/ग्राम प्रधान को ₹0 4000/- एवं डाकुआ को 2000/- रुपये, परगणैत को 6000/- रुपये, पराणिक को 2000/- रुपये, जोगमांझी को 2000/- रुपये, कुड़ाम नायकी को 2000/- रुपये, नायकी को 2000/- रुपये, गोडैत को 2000/- रुपये, मूल रैयत को 2000/- रुपये, पड़हा राजा को 2000/- रुपये, ग्राम सभा का प्रधान को 2000/- रुपये, घटवाल को 2000/-

रूपये एवं तावेदार को 2000/- रूपये एवं दिउरी (पुजारी) को 2000/- रूपये प्रतिमाह के दर से सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु यह आवंटन दिया गया है।

4. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा का प्रधान दो अलग-अलग पद हैं इन्हें एक नहीं समझा जाय। ग्राम प्रधान को 4000/-रूपये एवं ग्राम सभा के प्रधान को 2000/-रूपये प्रतिमाह दिया जाना है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003, 257/बजट, दिनांक-21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. आवंटित राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में अन्य मद में नहीं की जाय।

7. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के उपायुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संधारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

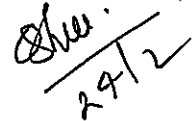
9. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या 40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड 40-S-20290010101000109 का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

10. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

11. अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

12. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,


24/2

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

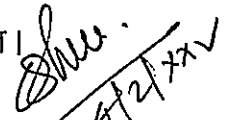
ज्ञापांक-

149/अ/११

राँची, दिनांक-25-02-2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित अपर समाहर्ता एवं संबंधित

जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


24/2/25

सरकार के सचिव।

lyn